

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान


क्रमांक :पीएसकेएस अभि.-2021/डीएलबी/21/3467

दिनांक :- 28.02.2023

आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के लिए नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के जारी आदेश दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 14 में स्थानीय निकाय द्वारा लघु अवधि की लीज/किराये पर दी गई व्यवसायिक सम्पत्तियों को फ्री-होल्ड पट्टे देने के जारी उक्त आदेश की अवधि एतद्वारा आगामी दिनांक 02 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ाई जाती है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(डॉ. जीगाराम)
शासन सचिव



(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक :पीएसकेएस अभि.-2021/डीएलबी/21/3468-3731

दिनांक :- 28.02.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, संयुक्त निदेशक (प्रथम), नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
6. आयुक्त, विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
8. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
9. समस्त आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाये, राजस्थान।
10. सुरक्षित पत्रावली।


(हृदयेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव